न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—312/2007/223 (2007/00001)

श्रीराम पुत्र मगना, जाति गुर्जर, (मृतक) जरिये वारिसानः—

1. सुवा पुत्र श्रीराम,
2. भागू पुत्र श्रीराम,
3. श्रवण पुत्र श्रीराम,
4. रामदेव पुत्र श्रीराम,
5. नाथी पत्नि श्रीराम,
6. सायर पुत्री श्रीराम,
7. राधा पुत्री श्रीराम,

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम तिलाना, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रंगलाल मुतबन्ना हरदेव,
2. काना पुत्र रामचन्द्र,
3. नानू पुत्र निम्बा,नाबालिग जरिये काना
4. आम्बा पुत्र रामचन्द्र,
5. श्रवणी पत्नि रामचन्द्र,

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम तिलाना, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर ।
7. उप पंजीयक, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 28.2.2007 अंतर्गत वाद संख्या 14/2001 .

उपस्थितः—

1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, वकील अपीलांटस ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 5.
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 व 7.

निर्णय

दिनांकः— 9.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने सहायक कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 का वास्ते घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के अनुसार वादपत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित वादग्रस्त आराजी मगना वल्द जौरा व रामचन्द्र वल्द हमीरा की

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

सहखातेदारी की भूमि थी जो कि अधी0न्याया0 में प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 से सिद्ध है लेकिन भू–संशोधन विभाग ने बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के तथा बिना अपीलांट की सहमति के वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 240 में अपीलांट के बजाय रेस्पो0 संख्या 1 का नाम दर्ज कर दिया तथा खाता संख्या 297 में रेस्पो0 संख्या 2 व 4 के पिता व 3 के दादा तथा 5 के पति का नाम दर्ज कर दिया तथा खाता संख्या 298 में जमाबंदी के इंद्राजात को ही रिपीट कर दिया जबकि ऐसा इंद्राज करने का राजस्व अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था क्योंकि स्व0 मगना का एकमात्र पुत्र अपीलांट ही था । रेस्पो0 संख्या 1 रंगलाल हरदवे का पुत्र था जिसका वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं था फिर भी अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने रिकार्ड के विपरीत जाकर दिनांक 28.2.2007 को वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता मगना पुत्र जौरा तथा रेस्पो0 के पिता व दादा रामचन्द्र पुत्र हमीरा के नाम सहखातेदारी में दर्ज थी जिसे भू–संशोधन विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपीलांट का नाम हटाकर रेस्पो0 संख्या 1 के नाम खाता संख्या 240 की 41 बीघा भूमि दर्ज कर दी जबकि चौसाला जमाबंदी में रेस्पो0 संख्या 1 के पिता के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं थी । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलांट का दावा खारिज करने में त्रुटि कारित की है। तनकी संख्या 1 को साबित करने के लिए अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 पेश की थी जिसमें अपीलंट के पिता जौरा वल्द मगना के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज था तथा रेस्पो0 के पिता रामचन्द्र पुत्र हमीरा का 1/2 हिस्सा दर्ज था फिर भी अधी0न्याया0 ने जमाबंदी को नजरअंदाज कर तनकी संख्या 1 को रिकार्ड के विपरीत वादी के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । तनकी संख्या 2 के अनुसार राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों एवं अधिकारिता के चौसाला जमाबंदी की भूमि को वर्किंग जमाबंदी में बंटवारा कर अपीलांट का वादग्रस्त भूमि में से नाम हटा दिया तथा खाता संख्या 240 में अकेले रेस्पो0 संख्या 1 का नाम दर्ज कर दिया जो उनके क्षैत्राधिकार से बाहर होने से काबिल निरस्तनीय था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर कि वादी ने मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है व चौसाला जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 में वादग्रस्त आराजी अलग–अलग खातों में दर्ज थी उसी अनुरूप अलग–अलग दर्ज की है । अतः तनकी संख्या 2 विरूद्ध वादी सिद्ध होती है जबकि चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के अनुसार ही राजस्व कर्मचारियों को भू–प्रबंध के दौरान वर्किंग जमाबंदी में अंकन करना चाहिये था जिसे अधी0न्याया0 ने नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में त्रुटि की है । जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 से यह पूर्णतया सिद्ध था कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट व रेस्पे0 के पूर्वजों की सहखातेदारी की थी जिसका नियमानुसार कोई बंटवारा नहीं हुआ है फिर भी वर्किंग जमाबंदी में भू–प्रबंध अधिकारियों ने जो बंटवारा कर अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया है वह न्यायिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने संवत् 2014 से 2017 के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलांट व प्रतिवादी के पूर्वजों के

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हिस्से में अलग–अलग अंकित होना मानकर वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 6 अपीलांट के विरूद्ध करने में कानूनी भूल की है जबकि रिकार्ड दुरूस्ती के दावे में कोई मियाद लागू नहीं होती है । चौसाला जमाबंदी में अपीलांट के पिता मगना पुत्र जौरा का नाम दर्ज था एवं मगना का एकमात्र पुत्र अपीलांट ही है जबकि भू–प्रबधं अधिकारियों ने अपीलांट के खाते की भूमि रेस्पो0 संख्या 1 के नाम 41 बीघा 10 बिस्वा व रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 के दादा के नाम 57 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि में राजस्व रिकार्ड संवत् 2014 से 2017 व संवत् 2022 से 2025 में अपीलांट के पिता के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज था इस तथ्य को अधी0न्याया0 ने नजरअदांज कर वाद खारिज किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस का वाद डिक्री किया जाकर नियमानुसार बंटवारा किया जावे तथा अलग–अलग खाता कायम किया जावे तथा रेस्पो0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.2007 की सूचना उसके अधिवक्ता ने पूर्व में नहीं दी थी जिससे प्रार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नही हो सकी थी। निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.10.2007 को तब हुई जब वादी/अपीलांट मौके पर अपनी फसल उठा रहा था तब रेस्पो0 संख्या 1 ने आकर फसल उठाने हेतु मना किया और कहा कि वादग्रस्त आराजी हमारे नाम है जिस पर अपीलांट ने दिनांक 26.10.2007 को अजमेर आकर अपना वकील नियुक्त कर नकल हेतु नसीराबाद जाकर दिनांक 27.10.2007 को प्रार्थना पत्र पेश जिस पर जिदनांक 30.11.2007 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की जा रही है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 5 ने बहस में मियाद के संबंध में कथन किया कि अधी0न्याया0 ने दिनांक 28.2.2007 को निर्णय व डिक्री पारित की है जिसकी अपीलांट को पूर्ण जानकारी थी क्योंकि अपीलांट हर पेशी पर उनके अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित होता रहा है । अपीलांट ने 10 माह के विलंब से अपील पेश की है जो भारी मियाद बाहर है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया कि निर्णय की जानकारी उनके अधिवक्ता द्वारा कबज दी गई । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निर्णय की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है कि दिनांक 27.10.2007 को प्रति तैयार कर घोषणा कर दी गई थी किन्तु अपीलांट ने निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति दिनांक 30.11.2007 को प्राप्त होना दर्शाया तथा इसके बावजूद दिनांक 12.12.2007 को अपील पेश की है तथा विलंब के कोई उचित एवं ठोस कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है । अतः अपील मियाद बाहर पेश किये जाने से इसी स्तर पर खारिज की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 5 ने अपील के गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष जो सजरा अंकित किया है वह गलत है । हमीरा व जोरा दोनों भाई नहीं थे जबकि हमीरा के पिता का नाम जगरूप एवं जोरा के पिता का नाम कज्जा तथा रामचन्द्र के पिता का नाम हमीरा एवं रामचन्द्र पुत्र हमीरा का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके वारिस प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 4 व 7 है । वादी के दादा जोरा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के दादा हमीरा दोनों सगे भाई नहीं थे बल्कि सत्य यह है कि वादी के दादा जोरा जो कि कज्जा के पुत्र थे

तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के दादा हमीरा पुत्र जगरूप थे । चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में जो इंद्राज दर्शाया गया है वह गलत है । चौसाला जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 के विपरीत गलत दर्शाया गया है । जबकि संवत् 2014 से 2017 की जमाबंदी के अनुसार खतौनी नंबर 531 के खातेदार रामचन्द्र पुत्र हमीरा एक हिस्सा जो कि प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पति तथा मंगना पुत्र जोरा एक हिस्सा जो कि वादी के पिता के नाम दर्ज है जिसके अनुसार खतौनी नंबर 531 में कुल भूमि 43–18–10 दर्ज है जिसमें से 1/2 हिस्सा की भूमि वादी की एवं 1/2 हिस्सा की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 व 7 की है । इसी प्रकार चौसाला जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 की खतौनी संख्या 531 जिसका कुल क्षैत्रफल 24–9–00 के अनुसार रामचन्द्र पुत्र हमीरा गुर्जर साकिन देह खुद काश्त मालिक हिस्सा जो कि प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के पिता एवं 7 के पति दर्ज है तथा खतौनी संख्या 533 का कुल रकबा 15–14–00 मंगना पुत्र॰ जोरा कौम गुर्जर साकिन देह खुद काश्त मालिक हिस्सा जो कि वादी के पिता के नाम दर्ज है । इसी अनुकूल वादी के पिता मगना एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के पिता रामचन्द्र द्वारा काश्त की जाती रही थी इसी अनुकूल राजस्व रिकार्ड में इंद्राज चला आया । इस कारण मौजूदा जमाबंदी के अनुसार खाता नंबर 286 के कुल किता 18 रकबा 57–17–10 के खातेदार रामचन्द्र पुत्र हमीरा गुर्जर दर्ज थे जिनका स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 एव 7 के नाम जरिये विरासत मौजूदा जमाबंदी में खातेदार दर्ज किया गया है तथा खाता नंबर 286 की मौजूदा वर्किंग जमाबंदी में दर्शायी भूमि जिसका कुल रकबा 57–17–10 में से कुछ भूमि स्व0 रामचन्द्र जो कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता को आवंटन/नियमन हुई थी इस कारण मौजूदा खाता नंबर 286 स्व0 रामचन्द्र के नाम 57–17–10 दर्ज की गई है । वादी का यह कथन कि अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में जो इंद्राज किया गया है वह सही नही है जबकि संवत् 2014 से 2017 की जमाबंदी के अनुसार इंद्राज सही है । संवत् 2014 से 2017 की जमाबंदी के अनुकूल ही मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार ही मौजूदा वर्किंग जमाबंदी जो कि सन् 1984 में कायम की गई है । वादी के द्वारा वर्किंग जमाबंदी के समय कोई आपत्ति नही की गई है । प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 एवं 7 के नाम विरासत नामांतकरण के जरिये मौजूदा जमाबंदी में खातेदार दर्ज किया गया है जो सही है । बहस में आगे कथन किया कि मौजूदा वर्किंग जमाबंदी के अनुसार खाता नंबर 287 के कुल किता 9 रकबा 34–19–10 में से 1/2 हिस्सा के खातेदार रामचन्द्र पुत्र हमीरा एवं 1/2 हिस्सा के खातेदार मगना पुत्र गोरा दर्ज है कि इस खाता संख्या 287 की भूमि का बंटवारा किये जाने में प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 व 7 को कोई आपत्ति नहीं है । खाता संख्या 286 के वादी एवं प्रतिवादीगण सहहिस्सेदार नहीं है बल्कि खाता संख्या 286 के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 व 7 ही दर्ज है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन विश्लेषण उपरांत वादी का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को प्रकरण के गुणावगुणा पर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु अनुतोष सहित 7 तनकियात कायम की थी।

10. तनकी संख्याः–1– क्या स्व0 हमीरा व स्व0 जोरा के वारिसान संवत् 2022 से 2025 चौसाला जमाबंदी में वास्ते ग्राम तिलाना के खाता संख्या 205, 2044 क्रमशः क्षैत्रफल 28–18–00 व 84–1–10 में बहिस्से बराबर काश्तकार दर्ज है ?

11. इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादी/अपीलांटस ने पी–3 मिलान क्षैत्रफल तथा जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 पेश की है जिसमें विवादित आराजियात वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम बराबर–बराबर हिस्से में दर्ज है । इसके विपरीत प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने एक्जी0डी01 ग्राम तिलाना की जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 पेश की है जिसके कॉलम संख्या 4 के अनुसार खाता संख्या 167 रामचन्द्र वल्द हमीरा 1 हिस्सा, मगना वल्द जोरा 1 हिस्सा गूर्जर गोत्र नेकाडी साकिन देह दर्ज है । इसी प्रकार इसी जमाबंदी खाता संख्या 531 कुल किता 7 कुल रकबा 24 बीघा 5 बिस्वा 4 बिवंसी रामचन्द्र वल्द हमीरा कौम गूजर साकिन देह खुदकाश्त दर्ज है । तथा खाता संख्या 533 कुल किता 9 मगंला वल्द जोरा कौम गूर्जर सा0देह दर्ज है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध बयानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीराम पुत्र मंगला ने अपने बयानों में जिरह में यह स्वीकार किया है कि "खेतों का बंटवारा तो रामचंद्र, हमीरा, मंगला कर गये थे । उसी अनुसार हम खेती कर रहे है । इस प्रकार श्रीराम पुत्र मंगला के जिरह में किये गये कथनों तथा जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम अलग–अलग दर्ज थी । विद्वान अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 विधिसम्मत् रूप से वादी के विरूद्ध निर्णित की है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

12. तनकी संख्याः–2– क्या राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारिता के विवादित आराजियात का बंटवारा वर्किंग जमाबंदी में कर दिया है इस दावे पर क्या असर है ? इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादी ने जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 पेश की है तथा बयान कराये है । इसके विपरीत प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संवत् 2014 से 2017 में विवादित आरायिजात वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम अलग–अलग खाते में दर्ज थी। जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में वादग्रस्त आराजियात सहखातेदारी में दर्ज की गई है जो जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 के इंद्राज के विपरीत है । वर्किंग जमाबंदी में इंद्राज जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 के अनुरूप किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के नाम अलग–अलग दर्ज की गई है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से तनकी संख्या 2 वादी के विरूद्ध निर्णित की है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है ।

13. तनकी संख्याः–3– क्या पारिवारिक सजरा मद नं0 1 में दर्शाया गया है गलत है? इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था । वादी ने अपने वाद पत्र में पारिवारिक सजरा दर्शाते हुए कथन किया है कि वादी व प्रतिवादीगणके पूर्वज मगना व जोरा सगे भाई थे जब कि प्रतिवादीगण का कथन है कि मगना व जोरा सगे भाई नहीं होने के कारण सजरा गलत है । उक्त सजरे को साबित करने की जिम्मेदारी वादी स्वंय पर भी थी । वादी ने ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सजरा प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र वादी द्वारा अंकित

सजरे को सही नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से तनकी संख्या 3 वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है।

14. तनकी संख्याः–4– क्या संवत् 2022 से 2025 के दर्शाये इंद्राज संवत् 2014 से 2017 के चौसाला जमाबंदी के विपरीत दर्शाये गये है? इसका वादपत्र पर क्या असर है ? इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था । इस तनकी को सिद्ध करने हेतु प्रतिवादीगण ने जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 पेश की है जिसमें विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम अलग–अलग दर्ज है । इसके उपरांत जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में विवादित आराजियात पक्षकारान के पूर्वजों की सहखातेदारी में दर्ज थी । वादी दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं कर पाये कि संवत् 2014 से 2017 के इंद्राज के विपरीत संवत् 2022 से 2025 में आराजियात सहखातेदारी में किस प्रकार एवं किस आधार पर दर्ज की गई । वादी श्रीराम ने स्वंय बयानों में जिरह में स्वीकार किया है कि विवादित आराजियात का बंटवारा तो रामचंद्र, हमीरा, मंगला कर गये थे । उसी अनुसार हम खेती कर रहे है । अधी0न्याया0 ने यह तनकी विधिसम्मत् रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है ।

15. तनकी संख्याः–5– क्या संवत् 2014 से 2017 की जमाबंदी के अनुसार ही प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता काश्त करते आ रहे है ? इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था । प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम अलग–अलग खातों में दर्ज है । वादी के गवाह रामदेव ने अपने बयानों मे जिरह में यह स्वीकार किया है कि मौके पर पक्षकारान के पास विवादित भूमि अपने हिस्से अनुसार कब्जे में है । प्रतिवादीगण ने प्रदर्श डी. 3, 7, 8 खसरा गिरदावरी संवत् 2031 से 2034 तथा प्रदर्श डी. 4 से डी. 6 खसरा गिरदावरी 2015 से 2018 में वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा काश्त अलग–अलग होना साबित किया है । वादी ने वर्किंग जमाबंदी के इंद्राज को साक्ष्यों से त्रुटिपूर्ण होना साबित करने में असफल रहा है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से तनकी संख्या 5 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की है ।

16. तनकी संख्याः–6– क्या वादी का वाद मियाद बाहर है ? ––प्रतिवादी––

17. वादी जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के आधार पर वर्किंग जमाबंदी के इद्रांज को गलत मानकर वाद कारण दिनांक 1.2.2001 को होना बताकर वाद पेश किया है जबकि वर्किंग जमाबंदी सन् 1984 में अस्तित्व में आ गयी थी । इस प्रकार वादी ने लगभग 17 वर्षो के उपरांत वाद पेश किया है । वादी का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि उसे उक्त इंद्राज का 17 वर्षो तक जानकारी नहीं हो उचित प्रतीत नहीं होता है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से तनकी संख्या 6 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की है ।

18. वादी/अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद में प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादी/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

19. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 14/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.2007 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

20. निर्णय आज दिनांक 9.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाशः– **श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.**

श्रीराम पुत्र मगना जाति गुर्जर (मृतक) जरिये वारिसानः–1. सुवा पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम तिलाना तहसील नसीराबाद जिला अजमेर व अन्य ।

बनाम

रंगलाल मुतबन्ना हरदेव जाति गुर्जर निवासी ग्राम तिलाना तहसील नसीराबाद जिला अजमेर व अन्य ।

– – –

अपील संख्या 312/2007 (2007/00001) ब नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद मुबर्खे 28 माह 02 सन् 2007, प्रकरण संख्या 14/2001,

दावा बाबत् : अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम.1955

यह अपील ब तारीख 09 माह 09 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका एड़वोकेट मिनजानिब अपीलांट,व श्री निर्मल कुमार जैन एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 5, श्री विकास पाराशर रेस्पोडेन्ट संख्या 06, 07 राजकीय अभिभाषक समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः– **अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2007 यथावत् रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक——X—— रूपये——X——. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का——X—— अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 09 माह 09 .सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा	–	
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2.स्टाम्प अर्जी	–	
3.इजराय हुक्मनामा	–		3.इजराय हुक्मनामा	–	
4.वकील फीस बाबत्	–		4.महनताना वकील	–	
मीजान	–		मीजान	–	

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।